राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़

योजना भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर
(दूरभाष नं. 0771–2511227, 2511223,) Email-distplan.cg@gmail.com

राज्य योजना आयोग द्वारा नवाचारों के अध्ययन व प्रोत्साहन हेतु दिशा निर्देश

छ0ग0 शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–10/2014/23 दिनांक 7/1/2020 द्वारा राज्य योजना आयोग के लिए निर्धारित दायित्वों में से एक ''नवाचारों का अध्ययन कर प्रोत्साहित करने हेतु शासन को सुझाव देना'' है। इस दायित्व के निर्वहन के लिए आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि, प्रदेश में ऐसे नवाचारों को जिनकी पहचान एवं उपयोगिता समाज हित में है तथा इससे निकलने वाली संभावनाओं को प्रोत्साहित करने तथा उद्यमिता विकास के द्वारा जिसे आगे वाणिज्यक पैमाने पर बढ़ाये जाने की संभावना विद्यमान हो, के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित कर व इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित कर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत गुणदोषों के आधार पर प्रथम दृष्टया उपयोगी प्रस्तावों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश निर्धारित किये गए है :–

1- **आवेदनों का आमंत्रण** : आवेदनों/प्रस्तावों का आमंत्रण, विज्ञापन द्वारा अथवा राज्य योजना आयोग की 'वेबसाईट' पर अधिसूचना जारी कर, निम्न दो रीतियों से किया जावेगा :

(i) इनोवेटर से सीधे योजना आयोग के पास,

(ii) इनोवेटर के परामर्श से विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थानों, उद्योगों आदि के माध्यम से,

इस हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर प्रस्ताव 'ऑफलाईन' अथवा 'ऑनलाईन' माध्यम से आमंत्रित किए जायेंगे। इसमें आवेदन/प्रस्ताव के प्रारूप का भी उल्लेख होगा । आवेदन का प्रारूप 'अनुलग्न–क' में उपलब्ध है ।

2- **आवेदनों की स्क्रीनिंगः**– निर्धारित प्रारूप में आवेदन की जांच राज्य योजना आयोग में, इस प्रयोजन हेतु, गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा की जाएगी, विशेषज्ञ समितियाँ विषयवार / क्षेत्रवार गठित की जा सकेंगी।

3- **विशेषज्ञ समिति का गठनः** विशेषज्ञ समिति में अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के सदस्य, उद्योग जिसमें छोटे एवं मध्यम दर्जे के उद्योग भी सम्मिलित है, के प्रतिनिधि एव बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञ सदस्य रहेंगे ।

4- **प्राप्त परियोजना प्रस्ताव की छानबीन** : राज्य योजना आयोग को प्राप्त होने वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु निम्न आधार पर प्राप्त आवेदन/प्रस्ताव की छानबीन विशेषज्ञ समिति द्वारा की जायेगी –

1- परामर्शदाता/मेंटर की आवश्यकता
2- मेंटरशिप का स्थान, संस्थान का नाम आदि,
3- प्रयोगशाला, उपकरण आदि की आवश्यकता
4- परीक्षण आवश्यकताएं
5- प्रोटोटाइप विकास की आवश्यकताएं
6- स्केलिंग–अप हेतु आवश्यकताएं, यदि कोई हो
7- निर्मित बौद्धिक संपदा, यदि कोई हो तो इसके पंजीयन की आवश्यकता,
8- अन्य सुसंगत विषय

5- **इनोवेटर के लिए कार्यस्थल की पहचानः**– प्रस्ताव की आवश्यकता के अनुसार, कार्यस्थल का चयन, संस्थानों की उपयुक्तता के आधार पर हो सकेगा, जिससे परियोजना क्रियान्वयन में आवश्यकता की पूर्ति तथा मेंटरशिप एवं प्रोटोटाइप विकास संसाधन उपलब्ध हो सके। इसमें चयनित संस्थानों एवं इनोवेटर की सहमति भी आवश्यक होगी।

6- **अनुदान की सीमा** : नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा एक प्रकरण में अधिकतम राशि रूपयें 5 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा। विशिष्ट एवं आपवादिक नवाचार के प्रकरणों में पर्याप्त कारण दर्शाते हुए इससे अधिक की राशि भी स्वीकृत की जा सकेगी किन्तु, यह राशि किसी भी दशा में रूपयें 10 लाख से अधिक की नहीं होगी ।

7- **इनोवेटर एवं संस्थान के मध्य समझौता ज्ञापन** : चयनित इनोवेटर एवं संस्थान के मध्य नवाचार की कार्यविधि, अभिलेखन, प्रोटोटाईप विकास करने तथा इस हेतु संस्थान की प्रयोगशाला, उपकरण, परीक्षण आदि की आवश्यकता की पूर्ति एवं इसपर लगने वाले व्यय आदि के विषय में 'एमओयू' हस्ताक्षरित किया जाएगा । इस एमओयू के अनुरूप ही नवाचार के परिष्कृत करने तथा इसे विज्ञान–सम्मत बनाते हुए प्रोटोटाईप तैयार करने, उसकी

कार्यक्षमता, उपयोगिता तथा कमर्शियल वैल्यू पर संस्थान समुचित कार्यवाही करेगा। अनुदान राशि के व्यय पर इनोवेटर एवं संस्थान के संयुक्त हस्ताक्षर भी होने का उल्लेख 'एमओयू' में रखा जाएगा।

8- **संस्थान के साथ समझौता ज्ञापनः**— राज्य योजना आयोग द्वारा नवाचार से संबंधित कार्यो के लिए चयनित संस्था के साथ 'एम. ओ.यू'. किया जाएगा, जिसमें संस्थान, नवाचार के अंतर्गत अनुमोदित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदत्त अनुदानराशि का उपयोग सुनिश्चित करने तथा कार्यसमाप्ति उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र आयोग को प्रस्तुत करने का उल्लेख होगा। कार्य समाप्ति पर, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य योजना आयोग में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें नवाचार में किए गए व्यय का विवरण रहेगा। बचत राशि को संस्थान द्वारा, राज्य योजना आयोग में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ, वापस किया जायेगा। नवाचार के कार्य की छःमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी संबंधित संस्थान की होगी। नवाचार हेतु आवश्यकता अनुसार निर्धारित समय सीमा में बदलाव के लिए भी संस्थान द्वारा आयोग से प्रस्ताव प्रेषित कर अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

9- **परियोजना रिपोर्ट और प्रोटोटाइप का प्रस्तुतिकरणः**— नवाचार परियोजना के पूर्ण होने या प्रोटोटाइप के विकास के उपरांत नवाचार प्रवर्तक तथा संस्थान द्वारा रिपोर्ट तैयार कर आयोग को प्रस्तुत की जावेगी। उक्त रिपोर्ट में परियोजना तथा नवाचार से संबंधित पूर्ण विवरण, फोटो, ड्राइंग आदि सहित नवाचार के क्रियान्वयन तथा कार्य करने की सम्पूर्ण विधि रिपोर्ट में प्रदर्शित की जावेगी। यदि कार्यविधि का कोई अंश नवाचार प्रवर्तक अथवा संबंधित संस्थान अथवा दोनों के द्वारा निर्मित बौद्धिक संपदा अधिकारों के आड़े आता हो तो, ऐसी कार्यविधि को गोपनीय रखा जा सकेगा ।

10- **मूल्यांकनः**— नवाचार समापन रिपोर्ट का मूल्यांकन, इस हेतु गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी तथा इस समिति द्वारा, नवाचार से विकसित प्रोटोटाइप की कार्यक्षमता, उपयोगिता तथा कमर्शियल वैल्यू के आधार पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया जाएगा कि, इस नवाचार से विकसित प्रोटोटाईप से उद्यमिता विकास की संभावनाएं कितनी हैं तथा इसके वाणिज्यिक स्केल पर बढ़ाये जाने की कितनी संभावना है।

11- **नवाचार के बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में पंजीयन की संभावना**:– योजना आयोग, चयनित नवाचार को राज्य में उपलब्ध बौद्धिक संपदा अधिकार के कार्य से जुड़ी छ.ग. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के माध्यम से आईपी एड्रेसल का कार्य भी करवा सकेगी। इस कार्य पर होने वाले व्यय भार का वहन विशेष परिस्थितियों में नवाचार प्रवर्तक के अनुरोध पर राज्य योजना आयोग द्वारा किया जा सकेगा।

12- **व्यय मद**:– आयोग द्वारा उक्त अनुसार नवाचारों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने पर होने वाला व्यय *''(7639) राज्य योजना का सुदृढीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान'' के #10 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ, 003 परामर्श सेवाएं''* मद में किया जाएगा।

(माननीय अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग द्वारा अनुमोदित)

सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग, छ.ग.

पृ.क्रमांक / 1674 / सस / रायोआ / 2020 **रायपुर, दिनांक 08/12/2020**

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छ.ग. शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, रायोआ., योजना भवन, नवा रायपुर।
3. निज सहायक, माननीय सदस्य, रायोआ., योजना भवन, नवा रायपुर।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मान. मुख्यमंत्रीजी के सलाहकार, योजना, नीति, कृषि एवं ग्रामीण विकास, योजना भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
5. प्रमुख सचिव, / सचिव / विशेष सचिव, छ0ग0 शासन, समस्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
6. विभागाध्यक्ष, छ.ग. शासन के समस्त विभाग नवा रायपुर।
7. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर।
8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
9. कुलसचिव, ... विश्विद्यालय / संस्थान, छत्तीसगढ़।
10. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, आयोग की वेबसाईट : http://spc.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग, छ0ग0

———